विचार बिन्दु

मेरे दोस्त किसी चीज़ को कुरूप ना कहो, सिवाय उस भय के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृतियों से डरने लगे। –खलील जिब्रान

वन भी असुरक्षित : हरियाली की जगह अवैध कब्जों का हो रहा विस्तार

दुनिया में जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास और आधुनिक जीवन शैली की वजह से प्राकृतिक वनों पर मानव समाज का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसे ध्यान में रखकर मानव जीवन की आवश्यकताओं के हिसाब से वनों के संतुलित दोहन तथा नये जंगल लगाने के लिए भी विशेष रूप से काम करने की जरूरत है। मनुष्य के जीवन में वन महत्वपूर्ण रहे हैं। परन्तु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे-वैसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटने के साथ अतिक्रमण आरम्भ कर दिया। जंगल की भूमि पर सरेआम अवैध कब्जों की भरमार हो गई साथ ही वनों की लगातार कटाई होती गई, जिससे वातावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आज हमारी स्थिति यह हो गई है की वृक्षों की छाव मिलनी भी दुर्लभ हो गई है। पर्यावरण सुधार के लिए वनों का विस्तार जरूरी है, लेकिन अब सरेआम जंगल क्षेत्र में हरियाली की जगह अवैध कब्जों का विस्तार हो रहा है। जंगल की भूमि का रखवाला वन विभाग है। बताया यह जाता है वन विभाग के पास समुचित साधन नहीं है, जिससे वो अतिक्रमण को हटा सके। इसी कमजोरी का फायदा अतिक्रमणकारी उठा रहे हैं। अतिक्रमण में वन कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जाती है। वन भूमि से पेड़ काट लिए जाते है मगर वन विभाग सोये रहता है, यह हज़म नहीं होता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है। यह क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुछ भौगोलिक क्षेत्र से भी बड़ा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश और असम अतिक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 13,05,668.1 हेक्टेयर (या 13056 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था। अभी तक 10 राज्यों ने वन अतिक्रमण पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक खबर पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया था कि भारत में 7,50,648 हेक्टेयर (या 7506.48 वर्ग किमी) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन है। जो देश की राजधानी दिल्ली के आकार से पांच गुना अधिक है। जिन राज्यों ने अपना डेटा नहीं दिया उनमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, प. बंगाल, नागालैंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, असम में वन भूमि पर सबसे अधिक अतिक्रमण किया गया है, जहां 2.13 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा है।

रिपोर्ट में जिन राज्यों के आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई है, उनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, मध्यप्रदेश, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 तक मध्यप्रदेश में सबसे अधिक 5,460.9 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण था। इसमें कहा गया है कि असम में 3,620.9 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 863.08 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 575.54 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 534.9 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा में 405.07 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 264.97 वर्ग किलोमीटर, मिजोरम में 247.72 वर्ग किलोमीटर, झारखंड में 200.40 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 168.91 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण है।

जंगल हमारे जीवन की बुनियाद हैं जो हमारे पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पर्यावरण, लोगों और जंतुओं को कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। वन कई प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं जैसे फर्नीचर, घरों, रेलवे स्लीपर, प्लाईवुड, ईधन या फिर चारकोल एवं कागज के लिए लकड़ी, सेलोफेन, प्लास्टिक, रेयान और नायलॉन आदि के लिए प्रस्संकृत उत्पाद, रबर के पेड़ से रबर आदि।

हालांकि अनेक आदिवासी संगठनों ने अतिक्रमण के इस दावे को सही नहीं बताया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपे गए वन क्षेत्र अतिक्रमण पर केंद्र सरकार के आंकड़े प्रामाणिक नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। देश में 150 से अधिक आदिवासी और वनवासी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख समूह ने बृहस्पतिवार को यह दावा किया। संगठनों का कहना है वन अधिकार अधिनियम, 2006 आदिवासियों और वन-आश्रित समुदायों के उस भूमि पर अधिकारों को मान्यता देता है जिस पर वे पीढ़ियों से रहते आए हैं और जिसकी रक्षा करते आए हैं। हालांकि बड़ी संख्या में दावों को गलत तरीके से खारिज करके इसके क्रियान्वयन का उल्लंघन किया जा रहा है।

वनों से हमें एक नहीं अपितु अनेकों लाभ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये वन को बहुत ही उपयोगी, लाभकारी और जीवनदायी बताया गया हैं। वन और जीवन दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं। वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन और भोजन मिलता है। मनुष्य और अन्य किसी भी प्राणी का जीवन ऑक्सीजन और भोजन के बिना नहीं चल सकता। वृक्ष और वन भू-जल को भी संरक्षित करते हैं। जैव-विविधता की रक्षा भी वनों की रक्षा से ही संभव है। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए बहुमूल्य वनौषधियां हमें जंगलों से ही मिलती हैं।

वन और वनस्पतियां आक्सीजन देकर हमें जीवन प्रदान करती हैं। बिना आक्सीजन के हम जीवित रह ही नहीं सकते और पेड़-पौधे यही जीवनदायिनी आक्सीजन छोड़ते हैं। एक स्वस्थ पेड़ हर दिन लगभग 230 लीटर ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे सात लोगों को प्राण वायु मिल पाती है। वे हमारे द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस कार्बन-डाइ-आक्साइड को ग्रहण करते हैं। कुछ वन्य पौधे ऐसे भी होते हैं जो रात में भी आक्सीजन छोड़ते हैं। पीपल, नीम, तुलसी, एलोवेरा, एक्समसकैक्टस, सर्पेन्टाइल (स्नेक प्लांट), आर्चिड्स, आरेंजठोवेरा आदि ऐसे पेड़-पौधें हैं जो रात में भी आक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़-पौधे न रहें तो जिन्दा रहने के लिए साँस और जीवन की धड़कन ही बन्द हो जायेगी। अब भी समय है हम समझे और समझाए की पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए कितने अहम् और प्राणदायक है।

स्वस्थ पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन के लिए समस्त भू-भाग का एक तिहाई वनों से ढका रहना चाहिए। एक क्षेत्र जहाँ पेड़ों का घनत्व अत्यधिक रहता है उसे वन कहते है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भारत में वन क्षेत्र में लगातार इजाफा हुआ है।

जंगल हमारे जीवन की बुनियाद हैं जो हमारे पर्यावरण के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन पर्यावरण, लोगों और जंतुओं को कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। वन कई प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं जैसे फर्नीचर, घरों, रेलवे स्लीपर, प्लाईवुड, ईंधन या फिर चारकोलएव कागज के लिए लकड़ी, सेलोफेन, प्लास्टिक, रेयान और नायलॉन आदि के लिए प्रस्संकृत उत्पाद, रबर के पेड़ से रबर आदि। फल, सुपारी और मसाले भी वनों से एकत्र किए जाते हैं। कर्पूर, सिनचोना जैसे कई औषधीय पौधे भी वनों में ही पाये जाते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती है और इस प्रकार वह भारी बारिश के दिनों में मृदा का अपरदन और बाढ भी रोकती हैं। पेड़, कार्बन डाइआक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसकी मानवजाति को सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। वनस्पति स्थानीय और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती है। पेड़ पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं और जंगली जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वे सभी जीवों को सूर्य की गर्मी से बचाते हैं और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

कोचिंग संस्थानों का विनियमन: सरकार की भूमिका

अशोक कुमार

भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्व बहुत अधिक है। कोचिंग सेंटर छात्रों को उनकी परीक्षाओं में सफल होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित गतिविधियाँ एक गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। कई कोचिंग संस्थान अत्यधिक फीस वसूलते हैं, जिससे शिक्षा केवल धनी परिवारों के लिए सुलभ हो जाती है। कुछ संस्थान भ्रामक विज्ञापन और झूठे वादे करते हैं, जिससे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया जाता है।

कोचिंग संस्थानों में छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सभी कोचिंग संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, और कुछ में अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। कुछ कोचिंग संस्थान बिना किसी नियमन के चलते हैं, जिससे अनियमितताएँ और शोषण होता है। कुछ कोचिंग संस्थाओं में सुरक्षा के उचित इंतज़ाम नहीं होते, जिससे छात्र सुरक्षित महसूस नहीं करते। कई संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, जिससे आत्महत्या जैसी घटनाएँ बढ़ती हैं। अत: कोचिंग संस्थानों का विनियमन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये संस्थान छात्रों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों में कई तरह की समस्याएं भी हैं। छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार को सख्त नियम बनाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने, जागरूकता फैलाने के लिए सख्त नियम और दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

इन नियमों में संस्थानों के पंजीकरण, शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, फीस, और छात्रों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान होने चाहिए। सरकार को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी भी करनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोचिंग संस्थान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए, सरकार को संस्थानों के शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, और शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार को छात्रों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसमें छात्रों को शोषण से बचाना, उन्हें उचित फीस और सुविधाएं प्रदान करना, और उनकी शिकायतों का निवारण करना शामिल है। सरकार को छात्रों और अभिभावकों को कोचिंग संस्थानों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें संस्थानों की गुणवत्ता, फीस, और छात्रों के अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

भारत में कोचिंग संस्थानों की संख्या बहुत अधिक है, जिससे उनका प्रभावी ढंग से विनियमन करना मुश्किल हो जाता है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने भी कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में संस्थानों के पंजीकरण, शिक्षकों की योग्यता, और छात्रों के अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कई कोचिंग संस्थान राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। छात्रों और अभिभावकों में कोचिंग संस्थानों के बारे में जागरूकता की कमी है, जिससे वे शोषण का शिकार हो जाते हैं। कोचिंग संस्थानों में छात्रों द्वारा आत्महत्या करना एक गंभीर चिंता का विषय है। यह समस्या न केवल छात्रों के परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य इन संस्थानों की अनियंत्रित गतिविधियों को रोकना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव को कम करना और उन्हें एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है। लेकिन उनका कार्यान्वयन राज्यों पर निर्भर करता है।

दिशानिर्देशों के अनुसार सभी कोचिंग संस्थानों को संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कोचिंग संस्थान किसी भी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते हैं, जिसमें छात्रों को गुमराह करने वाले दावे शामिल हों। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और उन्हें नियमित परामर्श सेवाएं प्रदान करनी होंगी। कोचिंग संस्थानों को अपनी फीस संरचना और रिफंड नीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। कोचिंग संस्थानों को उचित आधारभूत संरचना प्रदान करनी होगी, जिसमें सुरक्षित और स्वच्छ कक्षाएं, पीने का पानी और शौचालय शामिल हैं। कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पास उचित कौशल और योग्यता होनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये दिशानिर्देश कोचिंग संस्थानों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत में कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था राज्यों के अनुसार अलग-अलग है। कुछ राज्यों में कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में "राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025" पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य कोचिंग सेंटरों की अनियंत्रित गतिविधियों को रोकना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। इस विधेयक के तहत, कोचिंग संस्थानों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। एक "राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन अथॉरिटी" का गठन किया जाएगा, जो कोचिंग सेंटरों की गतिविधियों की निगरानी करेगी। इस बिल के तहत 50 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। प्रत्येक बैच में छात्रों की संख्या सीमित रहेगी, और इसे प्रॉस्पेक्टस और वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। कोचिंग सेंटरों को अपनी फीस का विवरण सार्वजनिक करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कोचिंग सेंटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोचिंग सेंटरों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और परामर्श सेवाएँ प्रदान करनी होंगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के विपरीत, इस विधेयक में 16 साल से कम उम्र के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रावधान हटा दिया गया है। यह विधेयक राजस्थान में कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कोचिंग सेंटरों का औपचारिक शिक्षा पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू शामिल हैं। कोचिंग सेंटर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अक्सर पर्याप्त रूप से शामिल नहीं होती हैं। कोचिंग सेंटर छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, पाठ्यक्रम और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ छात्रों को कक्षाओं में समझ में नहीं आने वाली अवधारणाओं को समझने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। कोचिंग सेंटर उन छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान और अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करते हैं। कोचिंग सेंटर छात्रों को परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यह आत्मविश्वास उनके शैक्षिणक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

कुछ छात्र कोचिंग सेंटरों पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे अपनी औपचारिक शिक्षा की अनदेखी करने लगते हैं। यह उनके समठा शैक्षिणक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कोचिंग सेंटर महंगे हो सकते हैं, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। यह उन छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच को सीमित कर सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कोचिंग सेंटर छात्रों पर अत्यधिक दबाव डाल सकते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

यह छात्रों के समग्र कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुछ कोचिंग संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी होती है, और कुछ में अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं। जिससे छात्रों को नुकसान होता है। कई कोचिंग संस्थानों में रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिससे छात्रों में रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच कम हो जाती है।

मैं कोचिंग संस्थानों में शामिल होने वाले छात्रों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरी चिंता बहुत अधिक गंभीर और मौलिक है, यानी छात्र खुद को नियमित कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में नामांकित करते हैं, लेकिन वे अपने संस्थानों में कक्षाओं में भाग लेने के बजाय डमी स्कूलों या निजी कोचिंग कक्षाओं में जाते हैं। क्या हम नियमित छात्रों को सिर्फ संस्थान में दाखिला लेने और कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने के लिए मुफ्त/सब्सिडी वाली शिक्षा और छात्रवृत्ति दे रहे हैं?

अत: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की कोचिंग संस्थान में पंजीकरण करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए की विद्यार्थी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पंजीकृत है कि नहीं और क्या उसको किसी भी प्रकार की आर्थिक सुविधा मिल रही है! ऐसे छात्रों को जो की नियमित रूप से किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं और उनको आर्थिक सुविधा मिल रही है तब उस छात्र को, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शैक्षिणक समय में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए! ऐसे विद्यार्थी अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के शैक्षिणक समय के पहले या शैक्षिक समय के बाद ही कोचिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुमति दी जानी चाहिए!

कोचिंग सेंटर औपचारिक शिक्षा के पूरक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। छात्रों को अपनी औपचारिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कोचिंग सेंटरों का उपयोग केवल अतिरिक्त सहायता के रूप में करना चाहिए। सरकार कोचिंग संस्थानों की अनियंत्रित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

आईटीबीपी जवान के शव को नम आंखों से अंतिम विदाई दी

पांच वर्षीय पुत्र ने दी मुखाग्नि, शहीद बड़े भाई के स्मारक स्थल के पास हुआ जवान के शव का अंतिम संस्कार

श्रीमाधोपुर, (निसं)। क्षेत्र के लौहिया चुड़ला (सांवलपुरा तंवरान) अजीतगढ़ के रहने वाले आईटीबीपी के जवान रतनलाल गुर्जर का उत्तराखंड के जाजरदेवल, पिथौरागढ़ में कर्तव्य निर्वहन के दौरान निधन हो गया था। जवान 14 वीं बटालियन आईटीबीपी में तैनात थे और जवान का बर्फीली पहाड़ियों में पेट्रोलिंग के दौरान ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण

- **जवान रतनलाल गुर्जर का बर्फीली पहाड़ियों में पेट्रोलिंग के दौरान ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण निधन हो गया था**

निधन हो गया था। उनकी शहादत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। शहीद रतनलाल गुर्जर का पार्थिव शरीर देर रात अजीतगढ़ पुलिस थाना पहुंचा था, जहां से उन्हें उनके पैतृक गांव लौहिया चूडला (सांवलपुरा तंवरान) ले जाया गया। ग्रामीणों और जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा बाइक रैली निकाली। गांव में शहीद के सम्मान में सभी बाजार बंद रहे और लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी।

परिवार में छाया मातम :- शहीद रतनलाल गुर्जर चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रामपाल गुर्जर भी भारतीय सेना में सेवा देते हुए तीन साल 11 महीने पहले जम्मू-कश्मीर में शहीद हो गए थे। दो अन्य भाई मोहन गुर्जर और रोशन गुर्जर अपने पिता बीरबल गुर्जर के साथ खेती का कार्य करते हैं। उनकी माता आंची देवी गृहिणी हैं। रतनलाल का विवाह बलेश देवी (कोटपूतली) से हुआ था और उनके तीन छोटे बच्चे-तनु (8 वर्ष), बेटा यश (5 वर्ष) और काजू (2 वर्ष) हैं। करीब एक माह पहले ही वह छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौटे थे। जाते समय उन्होंने परिवार से वादा किया था कि 3 मई 2025 को अपने बड़े शहीद भाई की पुण्यतिथि पर घर लौटेंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनकी शहादत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई:- शहीद के अंतिम संस्कार के लिए सेना का वाहन फूलों से सजाया गया। पुलिस थाना अजीतगढ़ से गांव तक हजारों की संख्या में ग्रामीण और युवा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम और अमर शहीद रतनलाल अमर रहे के नारों से समूचा इलाका गूंज उठा। गांव में पहुंचने पर पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, विधानसभा प्रभारी तथा यूडीएच मंत्री पुत्र अजय सिंह खर्रा, प्रधान शंकर लाल यादव, युवा कांग्रेस नेता कुणाल सिंह शेखावत, डॉ.मंगल यादव, बलराम यादव, भाजपा नेता श्याम चौधरी, कमांडो कैलाश गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद के बड़े भाई रामपाल गुर्जर के स्मारक स्थल के पास ही रतनलाल का अंतिम संस्कार किया गया।

पुत्र ने दी मुखाग्नि, सेना ने किया सम्मान :- पांच वर्षीय पुत्र यश ने पिता को मुखाग्नि दी। सेना के अधिकारियों ने शहीद के पिता बीरबल गुर्जर को तिरंगा सौंपा। गार्ड ऑफ ऑनर देकर सेना के जवानों ने अपने साथी को अंतिम विदाई दी। जनप्रतिनिधियों, सेना और पुलिस अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूरे गांव में रतनलाल की शहादत को सलाम किया गया। हर कोई उनकी वीरता और बलिदान पर गर्व महसूस कर रहा था।

लौहिया चुड़ला (सांवलपुरा तंवरान) अजीतगढ़ में आईटीबीपी के जवान रतनलाल गुर्जर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

ग्रामीणों में पैंथर का भय

मसूदा, (निसं)। ग्राम नीमगढ़ में मांइस के पास पैंथर होने को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्राम नीमगढ़ के पास स्थित एक खान के पास पिछले कुछ दिनों से पैंथर एवं तीन शावक सहित कुछ अन्य हिंसक जानवर होने से शुक्रवार को पूर्व सरपंच एस के मस्ताना के नेतृत्व में ग्रामीण मसूदा उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे एवं मसूदा उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत को सौंप गए ज्ञापन में बताया कि गांव के पास स्थित माइंस में पिछले कुछ दिनों से दिन व रात्रि के समय लैपर्ड तीन जानवरों के समूह में माइंस एरिया में विचरण करते हुए दिखाई दिए। इस माइंस पर श्रमिकों के आने-जाने का सिलसिला लगा रहता है। जिससे यहां कार्यरत श्रमिकों एवं ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से वन विभाग को पाबंद कर पिंजरा लगाकर इन जंगली जानवरों को पकड़ने की मांग की है।

श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला किया

निवाई, (निसं)। गांव गुंसी में स्थित पीर बाबा के स्थान पर पूजा के लिए आए श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान दो घायल श्रद्धालुओं को निवाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुजारी हेमराज तानिवाड ने बताया कि गुंसी में पीर बाबा के स्थान पर टोंक एवं स्थानीय कई श्रद्धालु पूजा करने आए थे। मंदिर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है जिसके नीचे श्रद्धालु बैठे थे। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। अचानक छत्ता श्रद्धालुओं पर आ गिरा और मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया, जिससे गोपीलाल बलाई, बजरंगलाल, कमला, सुशीला, प्रभाती, ममता, तेजराज सिंह एवं टोंक निवासी अशोक बलाई सहित करीब 15-20 श्रद्धालु घायल हो गए।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 5 अप्रैल, 2025

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, पुनर्वसु नक्षत्र रविवार प्रात: 5:32 तक, अतिगंड योग रात्रि 8:03 तक, विष्टि करण प्रात: 7:50 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:35 से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

भद्रा आज प्रात: 7:50 तक है। आज दुर्गाष्टमी, महाष्टमी, अशोकाष्टमी, अन्नपूर्णा पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:50 से 9:24 तक, चर 12:30 से 2:03 तक, लाभ-अमृत 2:03 से 5:09 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:17, सूर्यास्त 6:42

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

मिथुन
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज कार्य योजनानुसार सम्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृश्चिक
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।